देवघर समाहरणालय
(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या 376/भू अ0 दिनांक : 29/05/2017

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :–**रघुनाथपुर**, थाना :–**पालोजोरी**, थाना सं०–**461**,अंचलः–**पालोजोरी**, जिला–**देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना –**नोनीहाट –बासुकीनाथ –केराबानी–पालोजोरी–बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :–**रघुनाथपुर**, थाना :–**पालोजोरी**, थाना सं०–**461**, अंचलः–**पालोजोरी** जिला :– **देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.50** एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	50	रैयती	बाड़ी–2	0.03	माखन सौरेन वो रधी सौरेन वो चम्पा सौरेन पे0 स्व0 वदन सौरेन वो श्यामलाल सौरेन पे0 स्व0 दिवान सौरेन वो सीबसर सौरेन वो रूबीन सौरेन वो होपन सौरेन पे0 स्व0 पारू सौरेन।	दाग नं0–44	रास्ता	दाग नं0–47	रघुवाडीह
2	11	49	रैयती	बाड़ी–2	0.04	बाबूजन सौरेन वो चुटका सौरेन पे0 स्व0 बुधन सौरेन वो जीतन सौरेन पे0 स्व0 ठाकुर सौरेन वो फीलीप सौरेन वो हिरालाल सौरेन वो सितल सौरेन वो नन्दलाल सौरेन पे0 स्व0 देना सौरेन वो वारिस सौरेन पे0 स्व0 बड़कू सौरेन वो आनन्द सौरेन पे0 स्व0 मनेजर सौरेन वो पार्वती हेम्ब्रम पति स्व0 छातो सौरेन।				
3	11	47	रैयती	बाड़ी–2	0.09	तथैव				
4	11	48	रैयती	बाड़ी–2	0.07	बबलू सौरेन वो हेमलाल सौरेन वो दिनेश्वर सौरेन वो पुरन सौरेन पे0 स्व0 सुन्दर सौरेन वो जलेश्वर सौरेन वो काली सौरेन वो चुण्डा सौरेन पे0 स्व0 बैजल सौरेन वो सुनिल सौरेन पे0 जनादन सौरेन वो महादेव सौरेन वो सहदेव सौरेन वो बबलू सौरेन पे0 स्व0 गोखुल सौरेन वो शिवला सौरेन वो चुटु सौरेन वो पानो सौरेन पे0 स्व0 जीतन सौरेन वो झीमाली हांसदा पति गौर्वधन सौरेन।				
5	6	46	रैयती	बाड़ी–2	0.27	लखो मूर्मू पति मोहरील मराण्डी वो पीथो मराण्डी वो सोना राम मराण्डी पे0 चौहान मराण्डी।				
				कुल योग–	0.50					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 376 / भू अ0, देवघर, दिनांक 29/05/2017 ह0/

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त
देवघर।